

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत

कहू पिता हजारो गूजर नि० श्रीदरास बनाम रघुनाथ पिता माधु गूजर बौरट  
 मुकाम मांडल केम्प जींदरास तह० मी०  
 नं. ३५१ सन् १३ रे० रा०  
 एषाई निषेधाज्ञा  
 धारा १८८ रा० १०६१

कैसम मुकदमा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए
<p>16/5/17 केम्प जींदरास</p>	<p>वादी कहू पिता हजारो गूजर उपाधित ।              वादी शेषपिता नेनू गूजर नि० श्रीदरास अनुपाधित              वैसे आज उसकी उपाधिति की आनकत नही ।              प्रतिवादीगण की समझ लादिले हो चुकी है तथा              ए० ११०/२०१५ को एम्पलीप रजिवाही करने के              आदेश दिने जा चुके है ।              मी० श्रीदरास तह० मांडल की अमानदी              में आ० नं. ५६७ रकम ०-०१ एक बिस्वा में मु०              धा० के खानेदार वादी पिता हजारो गूजर              का १/२ आधा हिस्सा एवं वादी शेष पिता नेनू              सुषा पिता नेनू गूजर सायरी बेटा नेनू गूजर का              १/२ आधा हिस्सा से रजि रेखाई है ।              वादीगण ने संयुक्त रूप से              मी० श्रीदरास तह० मांडल की आ० नं. ५६७              रकम ०-०१ एक बिस्वा में मु० के खानेदार              वादीगण के जटिले प्रतिवादी सं. १ से १२ के निरूद्ध              वादाज्ञा आरम्भी धा० नं. ५६७ के उपयोग उपभोग              में किसी प्रकार की बाधा न रखाने के लिये              और वादीगण ने अन्य प्रतिवादीगण सुषा पिता              नेनू गूजर एवं सायरी बेटा नेनू गूजर के              जो धा० नं. ५६७ संयुक्त खानेदारों एक से है              उससे प्रतिवादी सं. १ से १२ वादीगण व अन्य              प्रतिवादी सं. १३ व १४ को अज्ञान के कारण न हो              बने बखत एषाई निषेधाज्ञा का अनुतोष धा०              गयी । मने रेखाई का अवलोकन दिना ।              प्रतिवादी सं. १ से १२ के निरूद्ध एम्पलीप              आदेश पारित हो चुके है तिसका माएणी धा०              नं. ५६७ से कोई संबंध व वास्ता न हो होने              से वादीगण एवं प्रतिवादी सं. १३ व १४ जो              धा० नं. ५६७ के संयुक्त खानेदारों एक से है              उसके उपयोग व उपभोग करने में व बाधा              अथवा ख्यावर पैदा न होने से प्रतिवादी सं. १ से</p>	<p><i>(Handwritten signature)</i></p>

राज अदालत  
 मुकदमा नं. ३५१

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो  
हुकम की तारीख  
में जारी हुए

12 को स्थान निर्बंधात्ता से प्रतिबंधित किया  
जाना-पापोचिव है। अतएव वारिण का वाद  
स्विकार योग्य है।

अतः यह स्थान निर्बंधात्ता को डिफ्री  
वारिण एवं प्रतिवादी सं. 13 से 14 के पक्ष में  
व प्रतिवादी सं. 1 से 12 के विरुद्ध पारित हुए  
यह आदेश दिया जाता है कि मौजा आदिनास  
तहसील मांडव की आरणी-वाह नं. 567 रकबा  
0-01 एककोट्या जै. पु. वाह के वारिण  
एवं प्रतिवादी सं. 13 से 14 को शान्ति पूर्वक  
उपयोग व उपभोग में प्रतिकारि सं. 1 से 12  
कोई बाधा व व्यवहार न करें व सारे अंत  
संशुभ स्वतंत्रता को अक्षत बरखत न करें।  
तदनुसार डिफ्री पक्ष मुनिब दिया जाने।  
निर्णय मजमे आप में सुनाया गया।

उपस्थित अधिकारी  
केम्प जी. देरास  
मांडव जिला भीलवाड़ा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)  
लोक अदालत कैम्प कोर्ट-जिन्द्रास तहसील मांडल

:: मूल वाद में डिक्री ::

(आदेश 20 नियम 6-7 जा0दी0)

पीठासीन अधिकारी:- श्री सी.एल.शर्मा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर:-241/2013 राजस्व वाद

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88-188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1-श्री बक्षु पिता हजारी गूजर, उम्र बालिग निवासी जिन्द्रास तहसील मांडल जिला  
भीलवाड़ा (राजस्थान)

2-श्री शेषु पिता नैनू गूजर, उम्र बालिग निवासी जिन्द्रास तहसील मांडल जिला  
भीलवाड़ा (राजस्थान)

-----वादीगण

बनाम

1-श्री रघुनाथ पिता माधू गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

2-श्री बद्री पिता रघुनाथ गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

3-श्री ऊंकार पिता माधू गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

4-श्री श्रवण पिता ऊंकार गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

5-श्री भागचन्द पिता ऊंकार गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

6-श्रीमति नौसर पत्नि श्री ऊंकार गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा  
जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

7-श्रीमति कमला पत्नि रघुनाथ गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा  
जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

8-श्री बक्षू पिता मांगू गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

9-श्रीमति लेहरी पत्नि नारायण गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा  
जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

10-श्री भभुत पिता नारायण गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

11-श्री चतुर्भुज पिता सूरजमल गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा  
जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा

12-श्रीमति रतनी पत्नि भभूतलाल गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा  
जिन्द्रास तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा


13-श्री सुखा पिता नैनू गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास

14-श्रीमति सायरी बेवा नैनू गूजर, उम्र बालिग निवासी मादूबाका खेड़ा मजरा जिन्द्रास  
तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा (राजस्थान)

15-राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार साहब, मांडल तहसील मांडल जिला भीलवाड़ा  
(राजस्थान)

-----प्रतिवादीगण

वादीगण की ओर से श्री - एडवोकेट और प्रतिवादी  
संख्या 1 से 14 की ओर से श्री - एडवोकेट की उपस्थिति में इस वाद  
के आज दिनांक 16.5.2017 को न्यायालय के समक्ष अंतिम निपटारे के लिये पेश होने

  
उपखण्ड अधिकारी  
मांडल जिला भीलवाड़ा

पर आदेश दिया जाता है कि और डिक्री की जाती है कि - और इस मद के खर्चे लेखों प्रतिशत रूपयों की राशि आज तारीख से वसूली तारीख तक उस पर प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित द्वारा राशि - को दी जायें।

अतः यह स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 14 के पक्ष में व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 के विरुद्ध पारित कर यह आदेश दिया जाता है कि ग्राम जिन्द्रास तहसील मांडल की आराजी चाह नं. 567 रकबा 01 बिस्वा गै0मु0 चाह के वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 13 से 14 को शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग में प्रतिवादी संख्या 1 से 12 कोई बाधा व रूकावट पैदा न करें, और संयुक्त खातेदारों को जबरन बेदखल न करें।



( सी.एल.शर्मा )

आर0ए0एस0

उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा

आज दिनांक 16.5.2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर

से जारी की गयी



उपखण्ड अधिकारी

मांडल जिला भीलवाड़ा